

मानव अधिकारों का उल्लंघन

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय मानवाधकार आयोग, स्वास्थय का अधकार

मेन्स के लयः

मानव अधकारों का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानवाधकारों के उल्लंघन से संबंधित आँकड़े राज्यसभा में सार्वजनिक कयि ।

- **राष्ट्रीय मानवाधकार आयोग** (NHRC) द्वारा पछिले तीन वत्तीय वर्षों में (31 अक्टूबर 2021 तक) प्रतविरष दरज कयि गए मानवाधकार उल्लंघन के मामलों में से लगभग 40% उत्तर प्रदेश से संबंधित थे ।

प्रमुख बडि

परचयः

- मानवाधकारों का उल्लंघन वचिर और आंदोलन की स्वतंत्रता की अस्वीकृत है जसि पर सभी मनुष्यों का कानूनी रूप से अधकार है ।
- जबक वयकर्ता इन अधकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, नेतृत्वकर्त्ता या सरकार अक्सर हाशयि पर रहने वाले वयकर्तयों को कम आँकती है ।
- यह हाशयि पर रहने वाले वयकर्तयों को गरीबी और उत्पीडन के चक्र में डाल देता है । जो वयकर्तय जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कयि सभी मानव जीवन समान मूल्य के नहीं हैं, वे इस चक्र को बनाए रखते हैं ।

उदाहरणः

- लोगों को उनके घरों से ज़बरन बेदखल करना (पर्याप्त आवास का अधकार) ।
- दूषित जल (स्वास्थय का अधकार)
- मानवीय जीवन के लयि पर्याप्त न्यूनतम मज़दूरी सुनशिति करने में वफिलता (काम का अधकार)
- देश में सभी कषेत्रों और समुदायों में भुखमरी को रोकने में वफिलता (भूख से मुकर्तय) ।

मानवाधकार उल्लंघन के प्रकारः

प्रत्यक्ष या जानबूझकरः

- **उल्लंघन या तो राज्य द्वारा जानबूझकर** कयि जा सकता है और या राज्य द्वारा उल्लंघन को रोकने में वफिल रहने के परणामस्वरूप हो सकता है ।
 - जब कोई राज्य मानवाधकारों के उल्लंघन में संलग्न होता है, तो पुलसि, न्यायाधीश, अभयोजक, सरकारी अधकारि और अन्य जैसे वभिन्न अभनितय शामिल हो सकते हैं ।
 - **उल्लंघन प्रकर्तय में शारीरिक रूप से हसिक** हो सकता है, जैसे कपुलसि की बर्बरता, जबक निषिपकष सुनवाई के अधकार जैसे अधकारों का भी उल्लंघन कयि जा सकता है, जहाँ कोई शारीरिक हसि शामिल नहीं है ।

अधकारों की रकषा करने में राज्य की वफिलताः

- यह तब होता है जब कसिी समाज के भीतर वयकर्तयों या समूहों के बीच संघर्ष होता है ।
- यदिराज्य कमज़ोर लोगों और समूहों में हसतकषेप करने एवं उनकी रकषा करने के लयि कुछ नहीं करता है, तो यह प्रतक्रियि उल्लंघन मानी जाएगी ।
 - अमेरिका में राज्य श्वेत अमेरकियों की रकषा करने में वफिल रहा जब देश भर में अक्सर लयिगि होती रही ।

भारत में वर्तमान परदृश्यः

कुल उल्लंघनः

- भारत में NHRC द्वारा दरज़ अधकारों के उल्लंघन के मामलों की कुल संख्या 2018-19 में 89,584 से घटकर 2019-20 में 76,628 और 2020-21 में 74,968 हो गई ।

- 2021-22 में 31 अक्टूबर (2021) तक **64,170** मामले दर्ज किये गए।
- **जाति-आधारित भेदभाव और हिंसा:**
 - पिछले वर्ष जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, **2009 से 2018 तक दलितों के खिलाफ अपराधों में 6% की वृद्धि हुई**, जिसमें 3.91 लाख से अधिक घटनाएँ देखी गईं।
- **सांप्रदायिक और जातीय हिंसा:**
 - कई लोगों पर गोरक्षा समूहों द्वारा हमला किया गया था और प्रभावित लोगों में से कई अल्पसंख्यक समूह के थे।
 - **अफ्रीकी देशों के लोगों** को भारत में **नस्लवाद** और भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- **संघ की स्वतंत्रता:**
 - सरकार द्वारा कई **नागरिक समाज संगठनों** के पंजीकरण को नरिस्त कर दिया गया, जो विशेष रूप से उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने से रोकते थे, भले ही **संयुक्त राष्ट्र** (United Nations-UN) ने दावा किया कि यह कार्यवाही अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं थी।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:**
 - कई लोगों को सरकार की नीतियों के प्रति असहमत व्यक्त करने के लिये **राजद्रोह कानून** के तहत गरिफ्तार किया गया और कई भारतीयों को फेसबुक पर टिप्पणी करने पर गरिफ्तार किया गया था।
- **महिला के वित्तीय हिंसा:**
 - हाल ही में जारी **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) 5**, की रिपोर्ट राज्य में महिलाओं के खिलाफ **घरेलू और यौन हिंसा** के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है।
 - कर्नाटक में घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि NFHS-4 में यहाँ घरेलू हिंसा के 20.6% मामले दर्ज किये गए थे और NFHS-5 में यह आँकड़ा 44.4% हो गया है।
- **बच्चों से संबंधित अधिकार:**
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** (National Crime Records Bureau- NCRB) के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2020 में भारत में बच्चों के खिलाफ कुल 1,28,531 अपराध दर्ज किये गए थे, जिसका अर्थ है कि महामारी के दौरान हर दिन औसतन 350 ऐसे मामले दर्ज किये गए थे।

आगे की राह

- दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक स्थायी, व्यावहारिक और प्रभावी तरीका अपनाना जो स्थानीय मूल्यों तथा संस्कृति को भी बरकरार रखने में भी सक्षम हो।
- मनुष्य को आपसी मतभेदों की पहचानना चाहिये तथा एक-दूसरे को समझते हुए इनमें पहचानकर परिवर्तन करने की प्रयास करना चाहिये।
- छोटी-छोटी पहलों की शुरुआत करना, जैसे- बलात्कार, हिंसा और भेदभाव के शिकारियों को समझते हुए दोषपूर्ण संस्कृति से बाहर निकालना। इस प्रकार का विसृत दृष्टिकोण इन परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है।
 - इन सबके बाद ही मानवाधिकारों के उल्लंघन के उदाहरण मानवीय दया एवं सहानुभूति की मसाल वकिसति कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू